कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश: शाहदरा, कड़कड़डूमा, दिल्ली

संदेश

हिन्दी दिवस 14 सितंबर,2018

"हिन्दी दिवस 14 सितंबर,2018 के पावन अवसर पर कड़कड़डूमा न्यायालय, शाहदरा जिला परिवार के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हार्दिक बधाई।"

प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिन्दी दिवस मनाये जाने का विशेष महत्व है। महात्मा गांधी जी ने सन् 1918 को हिन्दी सम्मेलन में हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था तथा हिन्दी को जनमानस की भाषा बुलाया था। भारतीय संविधान सभा में 14 सितंबर, 1949 को हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया तथा इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिन्दी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए साल 1953 के उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है।

दिल्ली राजभाषा अधिनियम,2000 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 26.01.2004 से प्रभावी हो चुका है जिसमें हिन्दी को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है । अतः सरकारी कार्यो में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने का पूर्ण उत्तरदायित्व हम सभी पर है । आज यह आवश्यक है कि हम अपनी राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा हिन्दी को अधिकाधिक स्वीकार्य मानते हुए सरकारी कामकाज सरल एवं सुबोध बनाने के लिए हिन्दी का अधिक से अधिक उपयोग करें ।

आइए इस अवसर पर हम सब राष्ट्रभाषा और जनभाषा, दोनों रुपों में हिन्दी के विकास और प्रयोग के प्रति अपने आपको समर्पित करें तथा उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें, जिससे वह भारत की संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकें ।

(ए.एस. जयचंद्रा) 14/9/18
जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाहदरा
शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा, दिल्ली

पत्र की प्रति सूचनार्थ हेतू प्रेषित की जाती है:-

संख्या 6472-6540 हिन्दी/शाह./दिल्ली/2018 दिनांक 14/9/18

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2. जिला न्यायालय, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा, दिल्ली, के समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण ।
3. नोडल अधिकारी, हिन्दी अनुभाग, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली ।
4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली ।
5. प्रशासनिक अधिकारी, हिन्दी अनुभाग, पूर्व, शाहदरा एवं उत्तर-पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली ।
6. प्रशासनिक-अधिकारी, देख-रेख शाखा, शाहदरा जिला को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी को निर्देश दें कि न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।
7. प्रशासनिक-अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, कड़कड़डूमा न्यायालय, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
8. अधोहस्ताक्षरी के रीडर ।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाहदरा
शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा, दिल्ली